छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 296/2006

श्री एम.के.अग्रवाल,
उप संचालक,
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,
ब्लॉक–12 बी, सड़क–6, सेक्टर–10,
भिलाई, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी,
सहायक श्रमायुक्त,
श्रमायुक्त कार्यालय,
छत्तीसगढ़, रायपुर .... प्रतिअपीलार्थी

2. अपीलीय अधिकारी एवं
उप श्रमायुक्त,
श्रमायुक्त कार्यालय,
छत्तीसगढ़, रायपुर .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 08 मार्च 2007)

श्री एम.के.अग्रवाल के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री एम.के.अग्रवाल के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 02–03–2006 को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कि अपीलार्थी ने 01–04–2003 से 31–03–2004 का गोपनीय प्रतिवेदन का भाग–3 की प्रति, अपीलार्थी का यात्रा भत्ता देयक माह जनवरी 2002 एवं फरवरी 2002 की स्वीकृति न प्रदान करने का कारण, अपीलार्थी के द्वारा गृह निर्माण अग्रिम एवं ऋण से संबंधित पूर्ण राशि वापिस करने के पश्चात् भी रहननामा भारमुक्त न किये जाने का कारण तथा उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, दुर्ग कार्यालय के पत्र दिनांक 17–11–2000 की प्रतिलिपि तथा जाँच रिपोर्ट की प्रति मांगी। निर्धारित अवधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी उप–श्रमायुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को 50/– रुपये अपील शुल्क जमा करने के लिये दिनांक 16–05–2006 को सूचित किया गया। अपीलार्थी ने 75/– रुपये की नान–ज्युडिशियल स्टेम्प प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। निर्धारित अवधि में अपीलीय अधिकारी के द्वारा आदेश न पारित करने के फलस्वरूप द्वितीय अपील छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आयोग के द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी किये गये। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया। प्रतिअपीलार्थी ने अपने जवाब में बतलाया कि गोपनीय चरित्रावली

प्रतिवेदन भाग–3 जिस पर कि प्रतिवेदक अधिकारी एवं समीक्षक अधिकारी का मतांकन किया गया है की नकल संबंधित अधिकारी ही प्रदान कर सकते हैं। अपीलार्थी का यात्रा भत्ता देयक माह जनवरी 2002 एवं फरवरी 2002 उप संचालक, दुर्ग के कार्यालय से श्रमायुक्त, रायपुर को स्वीकृति हेतु भेजा गया था। संबंधित अधिकारियों को प्राप्त जानकारी के अनुसार अपीलार्थी को जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 13–04–2006 को जानकारी दी गई कि अपीलार्थी के गोपनीय प्रतिवेदन शासन को भेजे गये हैं तथा अपीलार्थी की यात्रा देयकों के भुगतान हेतु तथा स्वीकृति प्रमाण–पत्र जारी कर उप संचालक, दुर्ग को आहरण हेतु भेज दिया गया है। भवन का रहननामा इसलिये मुक्त नहीं किया गया था क्योंकि अपीलार्थी ने वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक–1065–2781/चार/84 दिनांक 28–04–1984 के अनुसार वचन–पत्र नहीं दिया था। इसकी जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 13–04–2006 के द्वारा दे दी गई थी। जहां तक अस्थायी अग्रिम की वसूली के लिये जिम्मेदार ठहराये जाने से संबंधित बिन्दु का संबंध है, उससे संबंधित पत्र दिनांक 16–08–2004 के पत्र की प्रति भी अपीलार्थी को भेजी गई है। अपीलार्थी को यह भी सूचित किया गया था कि इससे संबंधित जांच रिपोर्ट की छायाप्रति उपलब्ध कराई जा चुकी है, चूंकि जांच रिपोर्ट से संबंधित दस्तावेज का अवलोकन अपीलार्थी कार्यालयीन समय में कर सकता है। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसे जानबूझकर विलम्ब से जानकारी दी गई तथा दस्तावेजों की नकल नहीं दी गई। अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक 02–03–2006 को प्रस्तुत किया था, क्योंकि उसे जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 13–04–2006 को अपूर्ण जानकारी दी गई। जहां तक गोपनीय चारित्रिक प्रतिवेदन का संबंध है, इसकी प्रति प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी को शासन (श्रम विभाग के जन सूचना अधिकारी) को आवेदन–पत्र देना था। अपीलार्थी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के पद पर है, जिसकी गोपनीय प्रतिवेदन शासन स्तर पर रखे जाते हैं। अतः श्रमायुक्त कार्यालय से जन सूचना अधिकारी के द्वारा यह सूचित किया गया कि गोपनीय चारित्रिक प्रतिवेदन शासन को प्रेषित किये गये हैं, अतः इसे न देने के लिये जन सूचना अधिकारी, श्रमायुक्त कार्यालय उत्तरदायी नहीं है। जहां तक रहननामा का संबंध में अपीलार्थी को वित्त विभाग के प्रावधान से अवगत कराया गया है तथा वचन–पत्र प्राप्त होने पर ही उसे मुक्त किया गया। अतः यह मान्य करना उचित नहीं होगा कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा सही जानकारी नहीं दी गई। माह जनवरी 2002 एवं फरवरी 2002 के यात्रा देयक 03 वर्ष से अधिक अवधि की पुरानी होने के कारण नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति हेतु कार्यवाही की गई है, जिसकी भी सूचना अपीलार्थी को दी गई है। जाँच रिपोर्ट की प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्राप्त हो चुकी है, केवल दस्तावेज की प्रतियां प्राप्त नहीं हुई है। अतः जन सूचना अधिकारी, श्रमायुक्त कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि जाँच से संबंधित सभी दस्तावेज अपीलार्थी को अवलोकन कराया जावे, तथा जो भी प्रतियां अपीलार्थी चाहता है, उसे अपीलार्थी के आवेदन देने पर 15 दिन के अंदर उसे निःशुल्क प्रदान की जावे।

4/ प्रकरण में यह अवश्य है कि अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 02–03–2006 को प्रस्तुत किया था, तथा उसे जानकारी 16–04–2006 के द्वारा अर्थात् निर्धारित अवधि के बाद दी गई। इस संबंध में जन सूचना अधिकारी का जवाब है कि अपीलार्थी के द्वारा स्वयं से संबंधित जानकारी मांगी गई थी, जो कि स्थापना शाखा से संबंधित है। स्थापना शाखा के प्रभारी अधिकारी के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराने के पश्चात् दिनांक 13–04–2006 को अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही अन्य सभी जानकारियाँ अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है। अपीलार्थी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसे श्रमायुक्त की इंक्वारी रिपोर्ट की प्रति चाहिये जबकि उसे संयुक्त संचालक (उद्योग) स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की रिपोर्ट दी गई है। प्रतिअपीलार्थी का यह तर्क है कि अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 02–03–2006 में उल्लेख किया था कि श्रमायुक्त के द्वारा जिस जांच रिपोर्ट को आधार

बनाया गया है, उसकी प्रति दी जावे, तद्नुसार संयुक्त संचालक (उद्योग) स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की रिपोर्ट उसे दी गई। जन सूचना अधिकारी के द्वारा तर्क के समय यह भी उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी को और भी दस्तावेज चाहिये वह देने को तैयार है, मांगे गये सभी दस्तावेज दिये जा चुके हैं। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को उसके द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 02–03–2006 में उल्लेख किये गये कि सभी जानकारियाँ दिनांक 13–04–2006 को दी जा चुकी है। जानकारी विलम्ब से देने के लिये जन सूचना अधिकारी उत्तरदायी नहीं है, विलम्ब जानबूझकर अथवा जानकारी नहीं दिये जाने के उद्देश्य से किया गया प्रतीत नहीं होता। अतः प्रतिअपीलार्थी पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का औचित्य नहीं है। अपीलार्थी ने बहस के समय जाँच के दस्तावेज की मांग की है, यदि अपीलार्थी नियमानुसार अभिलेख अवलोकन करने का आवेदन देता है तो प्रतिअपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित फीस लेने के पश्चात् अपीलार्थी को अभिलेखों का अवलोकन करा दिया जावे तथा जिन अभिलेखों की वह मांग करता है, उसे निर्धारित अभिलेख शुल्क लेकर 15 दिन के अन्दर प्रदान किया जावे।

5/ यद्यपि जानकारी उपलब्ध कराने में विलम्ब जानबूझकर अथवा द्वेषवश नहीं किया गया है, किन्तु अपीलार्थी को जानकारी विलम्ब से प्राप्त होने पर उसे आर्थिक एवं मानसिक क्षति हुई है, अतः उसे संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से 500/– रुपये की क्षतिपूर्ति दिये जाने का आदेश दिया जाता है।

6/ उपरोक्त निर्देश के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त